महत्वपूर्ण एवं खास

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 जुलाई को रहेंगे रायगढ़ प्रवास पर

बनोरा में गुरू दर्शनम में होंगे शामिल, कोसमनारा भी पहुचेंगे

रायगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 21 जुलाई को एक दिवसीय रायगढ़ प्रवास पर आयेंगे। जारी कार्यक्रम अनुसार मुख्यमंत्री साय 21 जुलाई को दोपहर 12.15 बजे हेलीकाप्टर द्वारा ग्राम-बड़े जुंगेरा, तहसील-डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद से प्रस्थान कर दोपहर 1.30 बजे ग्राम महापल्ली के मिनी स्टेडियम स्थित हेलीपेड पहुंचेंगे और वहां से ग्राम बनोरा के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री साय दोपहर 1.35 बजे से ग्राम-बनोरा में गुरू दर्शनम् में शामिल होंगे। तत्पश्चात वहां से प्रस्थान कर अपरान्ह 3.30 बजे ग्राम-कोसमनारा आयेंगे। मुख्यमंत्री साय शाम 4 बजे ग्राम-कोसमनारा से प्रस्थान कर शाम 4.10 बजे ओपी जिंदल एयरपोर्ट आयेंगे एवं वहां से रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे।

विधानसभा सत्र 22 से 26 जुलाई तक बिना अनुमति के शासकीय कर्मियों का अवकाश प्रतिबंध

सारंगढ़ बिलाईगढ़। छत्तीसगढ़ के षष्ठम् विधानसभा का तृतीत सत्र सोमवार 22 जुलाई 2024 से शुक्रवार 26 जुलाई 2024 तक आहूत किया गया है। इस अवधि में प्राप्त होने वाले तारांकित, अतारांकित विधानसभा प्रश्नों, स्थगन, शून्यकाल, आश्वासनों, ध्यानाकर्षण, अशासकीय संकल्प आदि तथा लोक लेखा समिति से संबंधित पत्राचार और जानकारी निर्धारित समय अवधि में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिले के समस्त विभागों में पदस्थ या कार्यरत सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को आदेशित किया गया है कि इस विधानसभा सत्र के दौरान वे सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना अवकाश पर नहीं रहेंगे और मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।

भू-स्वामियों के पटवारी रिकार्ड में दर्ज त्रुटियों का सुधार करेंगे तहसीलदार

रायपुर (आरएनएस)। राज्य के भू-स्वामियों को पटवारी रिकार्ड में त्रुटियों में सुधार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा की पहल पर राजस्व विभाग ने भू-स्वामियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब पटवारी रिकार्ड में दर्ज त्रुटियों का निराकरण करने के लिए तहसीलदारों को अधिकृत किया है। पूर्व में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को भू-स्वामियों के पटवारी रिकार्ड के त्रुटियों को निराकृत करने के लिए प्राधिकृत किया गया था। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुरूप राजस्व रिकार्ड में त्रुटि सुधार के अभ्यावेदन पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी और इसके लिए तहसीलदारों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ राज पत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार विशेष सचिव राजस्व एवं आपदा प्रबंधन ने छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार द्वारा उक्त संहिता की धारा 115 के अधीन तहसीलदार को भूमि स्वामी उसके पिता, पति के नाम, उपनाम, जाति, पते में लिपिकीय त्रुटि सुधार करने अधिकृत किया गया है। इसी प्रकार राजस्व रिकार्ड में कैफियत कॉलम में की गई त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि में सुधार करना, त्रुटिवश जोड़े गये खसरों को पृथक करना, भूमि के सिंचित, असिंचित होने संबंधी प्रविष्टि में सुधार करना, भूमि के एक फसली तथा बहु फसली की प्रविष्टि में त्रुटि सुधार करने के लिए तहसीलदार को अधिकृत किया गया है।

न्यूज पोर्टल्स के इम्पेनलमेंट हेतु फर्जी मैसेज करने वाले के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज

जनसम्पर्क संचालनालय ने राखी थाने में कराया एफआईआर

रायपुर (आरएनएस)। जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा न्यूज पोर्टल्स एवं न्यूज वेबसाईट के इम्पेनलमेंट के लिए आवेदकों को फर्जी मैसेज भेजने वाले के खिलाफ राखी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करायी गई है। दरअसल जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा न्यूज पोर्टल्स एवं न्यूज वेबसाइट के इम्पेनलमेंट के लिए 27 जून से 18 जुलाई 2024 तक ऑनलाईन आवेदन-पत्र आंमत्रित किए गए थे। इस दौरान 16 जुलाई को अज्ञात व्यक्ति द्वारा रबिक प्राईवेट लिमिटेड के नाम पर आवेदकों को व्हाटसअप मैसेज भेजकर यह कहा गया कि उनके आवेदन और पोर्टल्स में कुछ समस्या है, जिसके कारण जनसम्पर्क संचालनालय में उनके इम्पेनलमेंट की संभावना नहीं है। इसके समाधान के लिए आवेदक उनसे सम्पर्क करें। जनसम्पर्क संचालनालय द्वारा इसकी शिकायत मिलने पर आज नवा रायपुर स्थित राखी थाने में एफआईआर क्रमांक 0158 दर्ज कराई गई है। राखी थाने द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 319 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।

ब्लैक स्पॉट्स पर मानकों के अनुरूप हो व्यवस्था -कलेक्टर कार्तिकेया गोयल

❐ हेलमेट के प्रति जागरुकता को लेकर लगातार अभियान चलाने के दिए निर्देश

❐ कलेक्टर गोयल ने ली सड़क सुरक्षा समिति की बैठक

रायगढ़

नेशनल हाईवे और दूसरी सड़कों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉट्स पर पेंट स्ट्रिप, नेशनल हाईवे पर जहां स्टेट हाईवे या पीएमजीएसवाय की रोड आकर मिलती है वहां गति नियंत्रण के लिए जरूरी व्यवस्थाएं करें। सुरक्षा की दृष्टि से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म उपायों को अमल में लाते हुए उसकी मॉनिटरिंग करें। उक्त बातें कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में कही। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल भी बैठक में शामिल हुए।

कलेक्टर गोयल ने उद्योगों में लोडिंग-अनलोडिंग के लिए पहुंची गाडिय़ों को सड़क किनारे पार्किंग नहीं होने को लेकर लगातार निगरानी के लिए परिवहन और यातायात विभाग को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि उद्योग प्रबंधन को इसको लेकर सचेत करें और उल्लंघन पर कड़ी कार्यवाही करें। यह यातायात व्यवस्था और सड़क व्यवस्था की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने शासन द्वारा तारपोलिन ढंक कर गाडिय़ों के परिचालन की जांच करने के लिए कहा। बारिश के दौरान भारी वाहनों के टेल लाइट पर कीचड लगने से उसकी विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है इससे भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। अत: टेल लाइट की नियमित सफाई को लेकर वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए भी उन्होंने निर्देशित किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि विभागीय अधिकारी अपने विभाग के अधीन वाली सड़कों और पुल-पुलिया को लेकर लगातार मॉनिटरिंग करते रहें। जहां सुधार की आवश्यकता है वहां तत्काल मरम्मत करें। कलेक्टर गोयल ने सड़क दुर्घटनाओं में त्वरित स्वास्थ्य सहायता मुहैय्या कराने को लेकर सीएमएचओ को निर्देशित किया। इसके साथ ही उन्होंने पशुपालन विभाग को आवारा मवेशियों में रेडियम और टैगिंग की जानकारी ली और विभागीय अधिकारियों को लगातार इसकी मॉनिर्टरिंग करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर एडीएम संतन देवी जांगड़े, अपर कलेक्टर राजीव कुमार पाण्डेय, एडिशनल एसपी आकाश मरकाम, सीएसपी आकाश शुक्ला, ईई पीडब्ल्यूडी अमित कश्यप, सीएमएचओ डॉ.बी.के.चंद्रवंशी, खरसिया एसडीएम प्रियंका वर्मा, रायगढ़ एसडीएम प्रवीण तिवारी, जिला परिवहन अधिकारी अमित प्रकाश कश्यप सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

हेलमेट को लेकर लोगों को सजग करने नवाचारी अभियान चलाने पर दिया जोर- दुपहिया चलाते समय हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पुलिस विभाग के द्वारा चलाए जा रहे हेलमेट अभियान के बारे में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल ने जानकारी दी। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने अभियान की सराहना करते हुए कहा कि इसे लगातार जारी रखने की आवश्यकता है। आंकड़ों को देखें तो सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट पहने लोगों की मौत की संख्या अधिक होती है। इसलिए नवाचारी तरीके से लोगों को हेलमेट के लिए जागरूक किया जाए जिससे वे हेलमेट के उपयोग को लेकर लोग सजग हो सकें।

कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने हल्दी के उन्नन्त किस्मो के पौधे किए वितरित

रायपुर । आरएनएस

रायपुर:कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति डॉ. चंदेल ने कृषकों को हल्दी की उन्नत किस्मों के पौधे वितरित किये - इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने आज यहां कृषि विज्ञान केन्द्र, पाहंदा (दुर्ग) द्वारा तैयार हल्दी की उन्नत किस्मों के पौधे प्रगतिशील किसानों को प्रदान किये।

ये पौधे सुपारी एवं मसाला निदेशालय कालीकट, केरल द्वारा कृषि विश्वविद्यालय में संचालित अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत विकसित किये गये हैं। इस परियोजना के अंतर्गत कृषि विज्ञान केन्द्र, पाहंदा द्वारा हल्दी की उन्नत किस्मों के एक लाख पौधे तैयार कर किसानों को वितरित किये जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सुपारी एवं मसाला निदेशालय कालीकट, केरल द्वारा विभिन्न मसाला फसलों की उन्नत उत्पादन तकनीकी तथा नवीन प्रजातियों के प्रचार-प्रसार हेतु किसानों के खेतों में फसल प्रदर्शन हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी कड़ी में आज यहां हल्दी की उन्नत किस्मों के पौधों के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर निदेशक प्रक्षेत्र एवं बीज डॉ. एस.एस. टुटेजा, सगंध, मसाला एवं औषधीय फसलों के टीम लीडर डॉ. पी.के. जोशी, कृषि विज्ञान केन्द्र, पाहंदा के प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. विजय जैन, सगंध, मसाला एवं औषधीय फसल अनुसंधान परियोजना के प्रभारी डॉ. येमन कुमार देवांगन एवं कृषि विज्ञान केन्द्र पाहंदा के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉ. कमल नारायण वर्मा सहित अनेक प्रगतिशील कृषक उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में अब तक 330.3 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 330.3 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 20 जुलाई सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 730.0 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 138.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 204.3 मिमी, बलरामपुर में 341.1 मिमी, जशपुर में 241.3 मिमी, कोरिया में 249.5 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 205.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी।

इसी प्रकार, रायपुर जिले में 268.2 मिमी, बलौदाबाजार में 309.4 मिमी, गरियाबंद में 382.6 मिमी, महासमुंद में 237.3 मिमी, धमतरी में 342.7 मिमी, बिलासपुर में 345.4 मिमी, मुंगेली में 331.4 मिमी, रायगढ़ में 332.4 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 205.3 मिमी, जांजगीर-चांपा में 329.7 मिमी, सक्ती में 276.7 कोरबा में 396.2 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 343.2 मिमी, दुर्ग में 206.4 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 263.0 मिमी, राजनांदगांव में 335.0 मिमी, मोहला-मानपुर-अंबागढ़चौकी में 385.7 मिमी, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 224.1 मिमी, बालोद में 357.3 मिमी, बेमेतरा में 185.0 मिमी, बस्तर में 498.6 मिमी, कोण्डागांव में 378.9 मिमी, कांकेर में 397.5 मिमी, नारायणपुर में 436.5 मिमी, दंतेवाड़ा में 419.4 मिमी और सुकमा जिले में 603.2 मिमी औसत वर्षा एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

पेंट-पुट्टी का काम करने आए युवक ने नाबालिग को प्रेम जाल में फंसा भगा ले गया तमिलनाडू

❐ कोतरारोड पुलिस ने गुम बालिका और आरोपी युवक को तमिलनाडू के त्रिपुर से लाया वापस

❐ पुलिस ने नाबालिग को भगा ले जाने वाले आरोपी को पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर भेजा जेल

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी आकाश मरकाम के मार्गदर्शन पर कोतरारोड़ पुलिस ने थानाक्षेत्र से लापता हुई बालिका को तमिलनाडू के त्रिपुर जिले से खोजबिन कर बालिका को भगा ले जाने वाले आरोपित युवक के साथ वापस रायगढ़ लाया गया है।

थाना कोतरारोड़ में 04 मई 2024 को बालिका के पिता द्वारा बलिका के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया जिसमें वे बताये कि उनकी लड़की (17 साल 5 माह) की 03 मई के दिन को घर में किसी को बिना बताए कहीं चली गई है। मामले में कोतरारोड़ पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 185/2024 धारा 363 आईपीसी के तहत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दरमियान बालिका के सोशल मीडिया अकाउंट, मोबाइल नंबर की जांच की गई जिसमें गुम बालिका तथा जयप्रकाश बंजारे निवासी सिंघनपुर थाना सारंगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ के बीच मित्रता की जानकारी मिली। पुलिस ने दोनों का लोकेशन लिया गया, बार-बार लोकेशन बदलने के बाद वे अपना मोबाइल बंद कर रखे थे।

थाना कोतरारोड़ के सुपरविजन अधिकारी डीएसपी अखिलेश कौशिक द्वारा लंबित गुम इंसान की प्रगति का अपडेट लेकर थाना प्रभारी को पेंडिंग ममामलों के निकाल के संबंधी आवश्यक निर्देश दिये। थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक श्रीनाथ त्रिपाठी द्वारा साइबर सेल से पुन: गुम बालिका और संदेही का लोकेशन किया गया जिसमें दोनों के तमिलनाडु के त्रिपुर जिले में होने की जानकारी मिली जिस पर तत्काल पुलिस अधीक्षक से अनुमति प्राप्त कर कोतरारोड़ पुलिस की टीम तमिलनाडू रवाना हुई। काफी पतासाजी के बाद दिनांक 16/07/2024 को संदेही तमिलनाडु के नल्लूर थाना क्षेत्र एक किराये मकान में बालिका के साथ मिले, स्थानीय पुलिस की मदद से दोनों को नल्लूर थाना लाया गया। जहां से बालिका और संदेही को रायगढ़ लाया गया है। बालिका अपने कथन में बताई कि पिछले दीपावली के समय जयप्रकाश बंजारे इसके घर पेंट पुट्टी का काम करने आया था जो 9 दिन तक इसके घर काम किया। इस दौरान बालिका का जय प्रकाश बंजारे से जान पहचान हुई और दोनों मोबाइल पर बातचीत करने लगे। 02 मई 2024 को जयप्रकाश बालिका को शादी का प्रलोभन देकर ढिमरापुर चौक के पास बुलाया, बालिका के आने पर उसके अपने साथ सारंगढ़ ले गया और सारंगढ़ से बिलासपुर फिर बिलासपुर से ट्रेन में बैठकर त्रिपुर तमिलनाडु चले गए। जहां किराया मकान में रखकर बालिका का शारीरिक शोषण किया। बालिका का मेडिकल कराकर प्रकरण में धारा 366, 376 आईपीसी और 4, 6 पॉक्सो एक्ट जोड़कर आज आरोपी जयप्रकाश बंजारे पिता जनीराम बंजारे उम्र 29 साल निवासी सिंघनपुर थाना सारंगढ़ जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। बालिका की पतासाजी आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतरारोड़ निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी, सहायक उप निरीक्षक कुसुम केवट, आरक्षक चंद्रेश पांडे, संजीव पटेल और महिला आरक्षक श्यामा सिदार की विशेष भूमिका रही है।

प्रति सप्ताह 2 घंटे अपने आसपास को साफ कर बना सकते हैं स्वच्छ भारत : परियोजना निदेशक हरिशंकर चौहान

❐ "स्वच्छ भारत" हेतु उलखर में चलाया गया स्वच्छता अभियान

सारंगढ़ बिलाईगढ़

भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को "स्वच्छ भारत" बनाने के लिए "स्वच्छ भारत अभियान : कदम स्वच्छता की ओर" थीम वाक्य से जुड़कर अपने आसपास को स्वच्छ कर इस उद्देश को पूरा कर सकते हैं। जिले में लगातार स्वच्छ शनिवार की धारणा से पंचायत एवम ग्रामीण विकास विभाग के जिला परियोजना निदेशक हरिशंकर चौहान के नेतृत्व में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद पंचायत सारंगढ के ग्राम पंचायत उलखर में सफाई अभियान शासकीय आयुर्वेद औषधालय के परिसर में किया गया। शासकीय कर्मियों के अलावा स्वयंसेवी सदस्य और ग्रामीण जनों ने स्वच्छता अभियान में कार्य किया। स्वच्छता अभियान चलाकर लोगो को स्वच्छता के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में परियोजना निदेशक हरिशंकर चौहान ने कहा है कि हम भारत के लोग सप्ताह में 2 घंटे अपने आसपास को साफ कर स्वच्छ भारत बना सकते हैं।

इस दौरान सरपंच, सीईओ जनपद पंचायत सारंगढ़ संजू पटेल, शासकीय आयुर्वेद औषधालय उलखर के चिकित्सक डॉ बी आर पटेल, समन्वयक पीएम आवास शांति देवांगन सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे।

सभी ने लिए स्वच्छता शपथ- सभी ने स्वच्छता अभियान का शपथ लिया कि मैं शपथ लेता/लेती हूं कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूंगा और उसके लिए समय दूंगा। हर वर्ष 100 घंटे यानी हर सप्ताह में 2 घंटे श्रमदान करके स्वच्छता के इस संकल्प को चरितार्थ करूंगा। मैं न गंदगी करूंगा न किसी को करने दूंगा। सबसे पहले स्वयं से, मेरे परिवार से, मोहल्ले से, मेरे गांव से और मेरे कार्य स्थल से शुरुआत करूंगा मैं गांव-गांव और गली-गली स्वच्छ भारत अभियान का प्रचार करूंगा/करूंगी। स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। मैं जो शपथ ले रहा/रही हूं वह अन्य सब व्यक्तियों से भी करवाऊंगा/करवाऊंगी। वे भी मेरी तरह स्वच्छता के लिए 100 घंटे दें इसके लिए प्रयास करूंगा/करूंगी। मुझे मालूम है कि स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा एक कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा।

अवैध शराब बेचने वाले पर पूंजीपथरा पुलिस ने की कार्यवाई, 40 लीटर अवैध महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

जिले के अलग-अलग क्षेत्र में अवैध रूप से शराब बेचने वालों के विरुद्ध पुलिस कार्रवाई कर रही है। पूंजीपथरा क्षेत्र में निरीक्षक राकेश मिश्रा द्वारा स्टाफ व मुखबीर तैनात कर अवैध शराब बिक्री करने वालों की सूचनाएं लेकर लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में कल दिनांक 19/07/2024 के शाम ग्राम तराईमाल स्कूल पारा में रहने वाले सुखराम उरांव द्वारा अवैध बिक्री के लिए घर पर काफी मात्रा में शराब रखे होने की सूचना पर पूंजीपथरा पुलिस टीम द्वारा शराब रेड कार्यवाही किया गया। पुलिस की रेड में आरोपी के कब्जे से 20 नग 2-2 लीटर क्षमता वाले बोतल में भरा हुआ 40 लीटर अवैध महुआ शराब कीमती रु.4000 का मिला। पुलिस ने आरोपी को धारा 94 BNSS के तहत नोटिस देकर शराब बिक्री के संबंध में कागजात पेश करने कहा गया। आरोपी ने शराब बिक्री का कोई परमिट या दस्तावेज नहीं होना बताया। आरोपी के कृत्य पर पूंजीपथरा पुलिस द्वारा गवाहों के समक्ष अवैध शराब जप्त कर आरोपी सुखराम उरांव पिता दुखराम उरांव उम्र 59 साल निवासी तराईमाल स्कूल पारा थाना पूंजीपथरा जिला रायगढ़ के विरुद्ध थाना पूंजीपुरा में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है। शराब रेड कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक विजय एक्का, जयराम सिदार, सरस्वती महापात्रे, प्रधान आरक्षक विनीत तिर्की, अमित तिर्की, आरक्षक निर्दोष लकड़ा और महिला आरक्षक प्रभावित पुष्पा कुजूर शामिल थे।

जमीन विवाद में चचेरे भाइयों ने की भाई की हत्या, साक्ष्य छिपाने ट्रैक्टर में शव ले जाकर माण्ड नदी में फेंके

❐ धरमजगढ़ पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से घटना में प्रयुक्त डंडा, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर जब्त

❐ धरमजयगढ़ के ग्राम पुलाईआंट सिसरिंगा की घटना

रायगढ़

दिनांक 19/07/2024 को ग्राम पुलाईआंट सिसरिंगा में रहने वाले वेदराम राठिया (उम्र 45 वर्ष) द्वारा थाना धरमजयगढ़ में उसके बड़े भाई बलराम राठिया (उम्र 50 वर्ष) को जमीन विवाद में उसके चचेरे भाई कार्तिक राम राठिया और दशरथ राठिया द्वारा 18 जुलाई की रात डंडे से मारपीट कर हत्या कर दिए जाने की सूचना दिया। सूचना पर मर्ग कमांक 69/2024 धारा 194 BNSS आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 193/2024 धारा 103, 238, 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। सूचनाकर्ता ने बताया कि घटना का वह प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, रात्रि में कार्तिक राम के घर के सामाने कार्तिक राम और उसका भाई दशरथ डंडे से बलराम राठिया को मारपीट कर रहे थे। दशरथ राठिया ने बलराम राठिया के सिर पर कई बार वार किया जिससे मौके पर ही बलराम राठिया की मृत्यु हो गई। सुबह जब मृतक के घर गया तो उसका शव घर पर नहीं था, कार्तिकराम राठिया एवं दशरथ राठिया भी फरार थे।

घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक कमला पुसाम ठाकुर द्वारा पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल एवं राम गोपाल करियारे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़-ग्रामीण, एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी को अवगत कराया गया जिनके मार्गदर्शन पर तत्काल अपने स्टाफ के साथ दोनों संदेही-कार्तिक राम राठिया और दशरथ राठिया की पतासाजी कर हिरासत में लिया गया जिनसे कड़ाई से पूछताछ करने पर दोनों ने जमीन विवाद में घटना कारित करना स्वीकार किये और अपराध से बचने शव को ठिकाने लगाने ट्रैक्टर से मांड नदी ले जाकर ऊपर से फेंक देना बताएं। टीआई कमला पुसाम द्वारा अपने स्टाफ और ग्रामीणों के साथ माण्ड नदी से शव को बाहर निकाला गया। शव पंचनामा कार्यवाही कर पोस्ट मार्टम कराया गया और डॉक्टर से शार्ट पी.एम. रिपोर्ट प्राप्त किया गया जिसमें मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक होना लेख किया गया। आरोपियों आरोपी के निशानदेही पर घटनास्थल पुलाईआंट सिसरिंगा से जप्ती योग्य साक्ष्य की जप्ती किया गया। आरोपियों आरोपियों ने बताया कि वे पहले मोटरसाइकिल में शव को ले जाने जाने का प्रयास किये जिसमें सफल नहीं होने पर ट्रैक्टर का उपयोग किया गया है। आरोपियों के मेमोरेंडम पर घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डण्डा, मोटर सायकल एच.एफ. डिलक्स क्रमांक सी.जी. 13 जी. 5955 एवं सोनालिका ट्रेक्टर को बरामद कर जप्त किया गया है। आरोपी- (1) कार्तिक राम राठिया पिता स्वर्गीय अमर साय राठिया उम्र 45 साल (2) दशरथ राठिया पिता स्वर्गीय अमर साय रतिया 52 साल दोनों निवासी ग्राम पुलाईआंट सिसरंगा थाना धरमजयगढ़ को आज धरमजयगढ़ पुलिस द्वारा हत्या व साक्ष्य छुपाए जाने के अपराध में गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेजा गया है।

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन एवं राम गोपाल करियारे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायगढ़-ग्रामीण, सिद्धांत तिवारी पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़ के मार्गदर्शन पर गंभीर अपराध की सूचना पर त्वरित कार्यवाही कर आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी की कार्यवाही में थाना प्रभारी धरमजयगढ़ निरीक्षक कमला कुसुम ठाकुर, एएसआई अमृत मिंज, आरक्षक कमलेश्वर सिंह राठिया, विजय राठिया, तीरथ राठिया,ललित राठिया, बीरबल टोप्पो, सुरेश टोप्पो की अहम भूमिका रही है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480